24/2/2025

वादी श्रीमत रमेश जगदेव वकील उपस्थित है
लिखित जिप्या की प्रगत में एक अदालत की अपना
दे रामीनामा दर्ज लिया है अब इस वाद को
आगे नहि चलाना चाहते है अतः प्रकरण का
आज ही पर लिया जाय खारिज कर दिया
जावे।

पत्रावली आज पेशी पर की गई चूंकी
पक्षकारों में रामीनामा हो चूका है तथा वादी ने
अपने वाद को आगे नहि चलाना चाहता है
लिहाजा वादी वादी खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार हो नकल से गम हो
वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)